

राजस्थान राज–पत्र	RAJASTHAN GAZETTE
विशेषांक	Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 12 शुक्रवार, शाके 1939—जून 2, 2017 Jyaistha 12, Friday, Saka 1939—June 2, 2017

> भाग 4 (ग) उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

विधि (ग्रुप-2) विभाग अधिसूचना

जयपुर, जून 02, 2017 जी.एस.आर.32 :—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 एवं 7 के अधीन अनुसूची—'क' का प्रतिस्थापन.— राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013 के अधीन अनुसूची—'क' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

> "अनुसूची—क" राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (नियम 6 और 7 देखिए)

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	सदस्य सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कैंडर के सुपर टाइम स्केल के अधिकारी को अनुज्ञेय है।	1	राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग के सुपर टाइम स्केल से

			1989-777-872	द्वारा
2	संयुक्त सचिव	वही येतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कैंडर के अधिकारी को अनुजेय है।	1	राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा
3	उप सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कैंडर के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
4	उप सचिव प्रशासन (गैर-न्यायिक)	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत किये जायें	
5	निजी सचिव	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत किये जायें	
6	अतिरिक्त निजी सचिव	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	
7	सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड्– ।	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाये	सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा
8	प्रोग्रामृर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुझेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत किये जायें	सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग राजस्थान सरकार से स्थानान्तरण द्वारा

9	निजी सहायक	वही वेतन जो राज्य	जो राज्य	
		सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुन्नेय है।	सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	
10	प्रशासनिक अधिकारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	_
11	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज़ेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	
12	सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड्–।।	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	-
13	सहायक कार्यालय अधीक्षक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत किये जायें	-
14	कनिष्ठ लेखाकार	ELMONTAL FORG	जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा
15	आशुलिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	
16	लिपिक ग्रेड्–प्रथम	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	r pr-Ale
17	लिपिक ग्रेड़–द्वितीय	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर	

स्वीकृत किये कर्मचारी को अनुज्ञेय है। जायें वही वेतन जो राज्य जो राज्य वाहन चालक सरकार में समतुल्य पद सरकार द्वारा धारण करने वाले समय-समय पर कर्मचारी को अनुज्ञेय है। स्वीकृत किये जायें जो राज्य वही वेतन जो राज्य मशीन मैन सरकार में समतुल्य पद सरकार द्वारा समय-समय पर धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है। स्वीकृत किये जायें जो राज्य वही वेतन जो राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकार में समतुल्य पद कर्मचारी सरकार द्वारा धारण करने वाले समय-समय पर कर्मचारी को अनुज्ञेय है। स्वीकृत किये जायें जी राज्य स्वीपर वही वेतन जो राज्य 21 सरकार में समतल्य पद सरकार द्वारा धारण करने वाले समय-समय पर कर्मचारी को अनुज्ञेय है। स्वीकृत किये जायें

> [संख्या प.8(2)विधि/2/2017] आज्ञा से, मनोज कुमार व्यास, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

LAW AND LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT NOTIFICATION

Jaipur, June 02, 2017

G.S.R.32 .-In exercise of the powers conferred by section 28 the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), the State Government in consultation with the Chief Justice of the Rajasthan High Court, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan State Legal Sevices Authority Rules, 1995, namely:-

1. Short title and Commencement:- (1) These rules may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2017

2. Substitution of Schedule A:- The existing Schedule A appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"Schedule –A"
(See rule 6 and 7)
STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

S. No.	Name of Post	Scale of Pay	Number of Posts	Remark
1.	Member Secretary	Same pay as is admissible to the officer of the Rajasthan Judicial Services in the Supertime Scale District judge cadre.	1	By transfer from the Rajasthan Judicial Services in the Supertime Scale District Judge Cadre.
2.	Joint Secretary	Same pay as is admissible to the officer of the Rajasthan Judicial Services in the District judge cadre.		By transfer from the Rajastha Judicial Service in the District Judge Cadre.
3.	Deputy Secretary	Same pay as is admissible to the officer of the Rajasthan Judicial Services in the Senior Civil Judge cadre.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the Rajasthan Judicial Services
4.	Deputy Secretary Administration (Non Judicial)	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	<u>.</u>
5	Private Secretary	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	
6.	Additional Private Secretary	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	2.1
7.	Assistant Account Officer Grade-I	Same pay as is admissible to the employee holding	As may be sanctioned by the State	By transfer from the member of the

भाग 4 (ग)

		equivalent post in the State Government.	Government from time t	Rajasthan Accounts Subordinate Services.
8.	Programmer	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Governmer from time to time	By transfer from the Department of Information Technology and
9.	Personal Assistant	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
10.	Administrative Officer	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	
11.	Office Superintendent cum Assistant Administrative Officer	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to	-
12	Assistant Account Officer Grade-II	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government,	As may be sanctioned by the State Government from time to	By transfer from the member of the Rajasthan Accounts Subordinate Services
13	Assistant Office Superintendent	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to	-
14	Junior Accoutant	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	by the State Government from time to	By transfer from the member of the Rajasthan Accounts Subordinate Services
15	34. 32 × 1 × 152 × 10	Same pay as is admissible to the	As may be sanctioned by the State	And And the second

		equivalent post in the State Government.	Government from time to time	
16	Clerk Grade-I	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	
17	Clerk Grade-II	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	
18	Driver	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	
19	Machine Man	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State	As may be sanctioned by the State Government from time to time	
20	Class-IV Employee	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	
21	Sweeper	Same pay as is admissible to the employee holding equivalent post in the State Government.	As may be sanctioned by the State Government from time to time	

[No. F.8(2)Law/2/2017]
By Order,
Manoj Kumar Vyas,
Principal Secretary,
Law and Legal Affairs Department.